



2026:AHC:171935

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 8052 वर्ष 2026

राजेन्द्र प्रसाद मौर्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : नवीन कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : बृज किशोर पाण्डेय, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बृज किशोर पाण्डेय, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आज न्यायालय में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
3. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 272 वर्ष 2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता, थाना- रोहनिया, जनपद- वाराणसी में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त उल्लिखित मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध आरोप यह है कि उसने अपनी पत्नी के माध्यम से उसे मुन्नी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देवी के रूप में प्रस्तुत करते हुए पंजीकृत विक्रय अनुबंध निष्पादित किया। प्रश्नगत संपत्तियाँ राजेन्द्र प्रसाद मौर्य की पत्नी मुन्नी देवी, जो दुखखू की पुत्रवधू हैं, की हैं। आवेदक राजेन्द्र प्रसाद मौर्य सुखखू का पुत्र है, जो दुखखू का भाई था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पूर्णतः झूठे आरोप लगाए गए हैं, जबकि आवेदक मुन्नी देवी का पति है, जिसे झूठे रूप से लक्ष्मीना देवी के रूप में दर्शाया जा रहा है। तथापि, विवाद से बचने के लिए पंजीकृत विक्रय अनुबंध दिनांक 02.01.2025 को निरस्त कर दिया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अब कोई वाद हेतुक शेष नहीं है। उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अंतर्गत कार्यवाही संबंधित न्यायालय के विचाराधीन है। आवेदक का दो मामलों का आपराधिक इतिहास है और दोनों मामलों में वह जमानत पर है। आवेदक पूर्व दोषसिद्ध नहीं है।

5. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है और कथन किया है कि आवेदक ने स्वयं को दुखखू का पुत्र, जो उसका चाचा था, झूठा दर्शाते हुए, इस तथ्य का लाभ उठाकर कि दुखखू की पुत्रवधू मुन्नी देवी विरोध करने के लिए उपस्थित नहीं थी, अपनी पत्नी लक्ष्मीना देवी को मुन्नी देवी के स्थान पर खड़ा कराकर एक कपटपूर्ण विक्रय अनुबंध निष्पादित किया। विलेख का निरस्तीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के पश्चात किया गया है। तथापि, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य से इनकार नहीं करते हैं कि विक्रय अनुबंध के अनुसरण में कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अपनाया है। तथापि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विवाद नहीं किया है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

8. प्रश्नगत घटना दिनांक 07.04.2024 की है, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.09.2024 को अंकित की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक को पांच अन्य अभियुक्तगण के साथ नामित किया गया है। आवेदक पूर्व दोषसिद्ध नहीं है। प्रश्नगत पंजीकृत विक्रय अनुबंध, जो 6,00,000/- रुपये के भुगतान पर निष्पादित किया गया था, अब निरस्त कर दिया गया है। न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय में, मात्र पंजीकृत विक्रय अनुबंध का निष्पादन संपत्ति पर कोई निहित अधिकार सृजित नहीं करेगा। अन्यथा भी, उक्त अनुबंध निरस्त किया जा चुका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

10. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

11. आवेदक **राजेन्द्र प्रसाद मौर्य** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर, संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाएगा:-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

12. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

14 अगस्त, 2026

सचिन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।